

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
(भू-अर्जन शाखा)  
**अधिसूचना**

संख्या...../पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -बलिया, थाना -अमौर थाना न० 448, परगना-हवेली, जिला -पूर्णिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कोशी योजना अंतर्गत महानन्दा दायों तटबंध के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित ग्राम - बलिया, थाना न०-448 के भीतर भूमि का टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के 2.95 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अंश खेसरा सं० निम्नांकित है:-217, 159, 160, 162, 156, 161, 155, 152, 153 एवं 166 तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

**चौहद्दी**

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ  
पूरब - अंश खेसरा सं०-217, 159, 162, 160, 161, 155 एवं 166.  
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम-फुलभासा  
पश्चिम - अंश खेसरा सं० -217, 159, 160, 156, 155, 152 एवं 153 .

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम, 11 जून संशोधित ) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकेगा। अपर समाहर्ता, पूर्णिया/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कोशी योजना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 (क) की उपधारा-(2) में यथा उपबन्धित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि में 2.95 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा x एकड़ भूमि बंजर है तथा उसका /उनका तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-4 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा।  
अपर समाहर्ता, पूर्णिया।  
समाहर्ता आयुक्त, पूर्णिया।  
सरकार के सचिव, पूर्णिया।

ज्ञापांक:- 2852/पटना दिनांक:- 10/12/2013

- प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य प्रशाखा (जिला गजट प्रकाशन शाखा), पूर्णिया को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित ।
- (2)-निदेशक, सूचना एवं जन समर्पक विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती हैं ।
- (3)-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के सचिव,  
बिहार, पटना ।